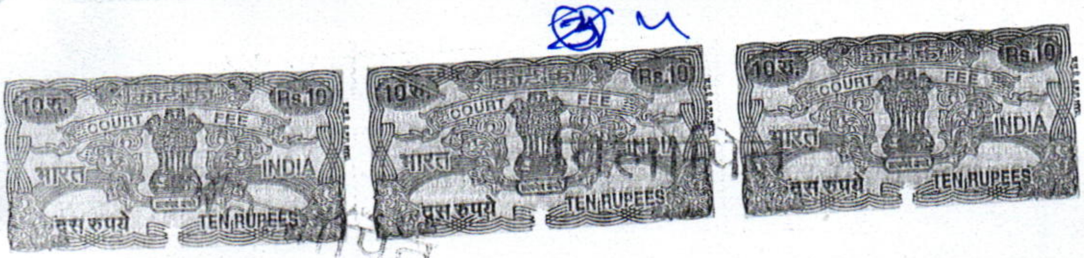

III / निगरानी / मुरैना / भू-रा / 2017 / 1793

न्यायालय ~~श्रीमान अध्यक्ष महोदय~~ म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. / 2017 निगरानी

श्री विनोद कुमार .... द्वारा आज दि. 16-6-017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1.राधेश्याम

2.सूखा पुत्रगण वंशी

3.रामकली उर्फ रामश्री विधवा पत्नी स्व. श्री आसाराम समस्त जातिय जाटव निवासीगण ग्राम लाला राम का पुरा मौजा मिरखान तहसील व जिला मुरैना .... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. के 159 / 2016-2017 अपील मे पारित ओदश दिनांक 21-03-2017 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ।

श्रीमान जी ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1. यह कि मौजा मिरघान तहसील व जिला मुरैना की भूमि सर्वे क्रमांक 53/1 रकवा 1.00 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 123 रकवा 1.04 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 100/1 रकवा 1.00 हेक्टर , के आवेदकगण भूमिस्वामी एवं आधिपत्य धारी होकर उक्त किसी भूमि कृषि कार्य कर शासन को लगान अदा करते चले आ रहे है।
2. यह कि उक्त भूमि का वर्तमान खसरा प्राप्त करने हेतु मौजा पटवारी से संसोधन मांगने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खाता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 1793

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02—8—2017	आवदेक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21—3—2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक द्वारा दिनांक 23—8—16 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 21—10—16 को नकल तैयार हो गई थी परन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 08—3—17 को नकल प्राप्त कर 15—3—17 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर पूर्ण विचार कर अपील को समयबाधित मानते हुये अग्राह्य की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	